न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :–02 / 2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2024 / 25)

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर

––––––––– प्रार्थी

बनाम

मैसर्स सुनहरी गैस सर्विस प्रोपराईटर श्री सुनहरी लाल पुत्र चौब सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष जाति ठाकुर निवासी मैन बाजार मंनिया तहसील मंनिया जिला धौलपुर।

–––––––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री इन्द्रपाल सिंह जादौन एडवोकेट

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय धौलपुर (राज0)

निर्णय *दिनांक* **30.01.2025**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 30.03.2024 को थानाधिकारी मंनिया एवं टीम के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मैसर्स सुनहरी गैर सर्विस मैन बाजार मंनिया में घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण एवं विक्रय के सम्बध में कार्यवाही की गई। मौके पर उक्त दुकान में कुल 17 घरेलू सिलेण्डर एवं 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर (एन.डी.) रखे जाना पाया गया जिनमें कुल 11 भरे हुए बी.पी.सी.एल. मार्का एवं 01 आई.ओ. सी.एल. मार्का सील्ड, 02 आई.ओ.सी.एल. मार्का खुले, 01 एच.पी.सी.एल. तथा 02 बी.पी.सी. एल. मार्का अनसील्ड सिलेण्डर होना पाये गये जिनकी फर्द तलपटटी पृथक से तैयार की गई। मौके पर सुनहरी गैस सर्विस प्रोपराइटर श्री सुनहरी लाल पुत्र श्री चौबसिंह जाति ठाकुर निवासी मैन बाजार मनियां से उक्त सिलेण्डरों बावत प्राधिकार पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की मांग की गई जिस पर सुनहरीलाल द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया। मौके पर से कुल 37 गैस डायरियां प्राप्त हुई जिसके बारे में पूछताछ करने पर सुनहरीलाल द्वारा उक्त गैस कनेक्शनों की बुकिंग करा भरे गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की बात कही गई जिस पर प्रति गैस सिलेण्डर 10रू प्राप्त होना बताया गया।

जिला कलक्टर
धौलपुर

मौके पर लोहे का तराजू एवं 01 खाता बही भी प्राप्त हुई। मौके से कुल 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर (एन.डी.) मय एल.पी.जी. गैस, 01 लोहे का तराजू मानक बजन बांट, 01 खाता बही एवं कुल 37 डायरियां जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं विक्रय किये जाने पर एल.पी.जी.कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लधन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर मंनिया इण्डेन ग्रामीण वितरक मंनिया के डिलीवरी मैन श्री लोकेश पुत्र मोहनसिंह जाति जाटव निवासी मंनिया की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त कुल 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर (एन.डी.) मय एल.पी.जी. गैस, 01 लोहे का तराजू मानक बजन बांट, 01 खाता बही एवं कुल 37 डायरियां राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित फोटोप्रति फर्द मौका, फर्द तलपटटी एवं नजरीनक्शा, फर्द अभिग्रहणनामा ,फर्द सुपुर्दगीनामा, खाता वही, गैस डायरियां किता 37 पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के संबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री इन्द्रपाल सिंह जादौन एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि दिनांक 30.03.2024 को थानाधिकारी मनियां एवं टीम के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मैसर्स सुनहरी गैस सर्विस मैन बाजार मनियां में एलपीजी के अवैध भण्डारण एवं विक्रय के सम्बध में जो कार्यवाही की गई है, वह विधि विरूद्व एवं अनैतिक की गई। प्रार्थी की कोई गैस मैसर्स सुनहरी गैस सर्विस के नाम से नहीं है। प्रार्थी मात्र गैस स्टोव सही करता है एवं मात्र लाईटर एवं गैस पाईप व घरेलू उपयोग–उपभोग की चीजें विक्रय करता है। वह अनैतिक कोई काम नहीं करता है ना ही एलपीजी के सिलेण्डर का कोई भण्डारण करता है। थानाधिकारी थाना मनियां एवं टीम जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत रूप से प्रार्थी की दुकान से 17 घरेलू सिलेण्डर एवं 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर रखे पाया जाना गलत पाया समस्त सिलेण्डर उपभोक्ताओं के रखे हुए थे वास्तविकता यह है कि दुकान में 17 घरेलू सिलेण्डर रखे हुऐ थे वे उपभोक्ता के रखे हुए थे जो उपभोक्ता मजदूरी करने एवं काम पर चले जाते एवं नौकरी करने चले जाते एवं जिन उपभोक्ता के घर तक गाडी नहीं पहुंच पाती, वह उपभोक्ता अपनी सुविधा के लिए उपने सिलेण्डर प्रार्थी के दुकान पर रख जाते एवं अपनी गैस पासबुक भी रख आते सिलेण्डर बुक कर रख आते एवं जब गाडी आती तब प्रार्थी उपभोक्ता के बुक अनुसार उनके सिलेण्डर ले लेता एवं शाम को अनके घर पहुंचा आता इस सुविधा के लिए उपभोक्ता प्रार्थी सुनहरी को 10/–दस रूपये दे देते थे एवं वक्त निरीक्षण प्रार्थी सुनहरी ने उपभोक्ता की रखी हुई गैस पासबुक दिखाई एवं उनकी बुकिंग भी दिखाई एवं कहा कि उपभोक्ता को सरकार द्वारा उनके खाते में सब्सिडी मिलती है जो कि उपभोक्ता के खाते में जाती है एवं जाहिर किया कि मैंने कोई भण्डारण नहीं किया न ही मेरे विरूद्व किसी उपभोक्ता ने कोई शिकायत की क्योकि मैं कोई कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण नहीं करता हूॅ तथा मौके पर प्रार्थी ने उपभोक्ता की गैस

जिला कलक्टर
धौलपुर

पासबुक भी दिखाई लेकिन गलत तरीके व विधि विरूद्व तरीके से समरत कार्यवाही की गई मौके पर उपस्थित किसी दुकानदार व पडोसी के कोई बयान नहीं लिये गये एवं गलत तरीके से उपभोक्ता की पासबुक भी जब्त कर ली। प्रार्थी ने संतोषप्रद जबाव दिया एवं उपभोक्ता की पासबुक दिखाई कुछ उपभोक्ता को प्रार्थी सुनहरी ने फोन कर बुलाया लेकिन ना तो प्रार्थी की कोई बात सुनी एव ना ही किसी उपभोक्ता की कोई बात सुनी मात्र द्वेषभावना इण्डेन गैस एजेन्सी टांडा रोड मनियां के कहने पर समस्त कार्यवाही की है। प्रार्थी की दुकान से मौके पर 37 डायरियां प्राप्त होना स्वीकार है। पूछताछ करने पर प्रार्थी ने बताया कि उक्त गैस पासबुक उपभोक्ता द्वारा बुकिंग कराकर प्रार्थी को दे जाते जब गैस सिलेण्डर की गाडी आती तो उससे गैस सिलेण्डर लेकर वह उपभोक्ता के घर पहुंचा आता और उपभोक्ता से 10/– रूपये प्राप्त करता। प्रार्थी की दुकान पर प्राप्त 37 डायरियां प्राप्त होने पर साफ जाहिर है कि प्रार्थी सुनहरी ने कोई अवैध भण्डारण नहीं किया। समस्त गैस सिलेण्डर उपभोक्ता के थे एवं गैस सिलेण्डर जो एजेन्सी से मिलते है, वह उपभोक्ता के मोबाइल न. से बुकिंग करने पर मिलते है एवं उनके मोबाइल न. पर ओ. टी.पी. बावत डिलेवरी बावत आता है ओ.टी.पी. डालने के उपरांत ही गैस सिलेण्डर डिलेवर जाता है। टीम द्वारा प्रार्थी की दुकान पर मात्र एक लोहे का तराजू व 01 किलोग्राम मानक वजन मिलता है जिससे भी साफ जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं किया जा रहा था। निरीक्षण टीम द्वारा गलत एवं विधिविरूद्व तरीके से अनुचित कार्यवाही कर गलतरूप से 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर, 01 लोहे का तराजू, 01 किलोग्राम मानक बजन बांट एवं खाताबही एवं कुल 37 डायरियां जब्त किये गये जिन्हे प्रार्थी सुपुर्दगी में प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने जबाव के समर्थन में उपभोक्ताओं के शपथपत्र पेश कर रहा है। किसी भी उपभोक्ता के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही एवं शिकायत नहीं की गई है। अतः प्रार्थी ने जबाव पेश कर 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर, 01 लोहे का तराजू, 01 किलोग्राम मानक बजन बांट एवं खाता बही एवं कुल 37 गैस डायरियां अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने की प्रार्थना की है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि फर्द मौका, फर्द तलपटटी एवं नजरीनक्शा, फर्द अभिग्रहणनामा ,फर्द सुपुर्दगीनामा, खाता वही, गैस डायरियां से यह सावित है कि मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं विक्रय किये जाने पर एल.पी.जी.कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लधन है। मौके पर गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं विक्रय करने बावत अप्रार्थी के पास कोई प्राधिकार पत्र नहीं है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मैसर्स सुनहरी गैस सर्विस मैन बाजार मनियां में एलपीजी के अवैध भण्डारण एवं विक्रय के सम्बध में जो कार्यवाही की गई है वह विधि

जिला कलक्टर
धौलपुर

विरूद्व एवं अनैतिक की गई। प्रार्थी की कोई गैस मैसर्स सुनहरी गैस सर्विस के नाम से नहीं है। प्रार्थी मात्र गैस स्टोव सही करता है एवं मात्र लाईटर एवं गैस पाईप व घरेलू उपयोग–उपभोग की चीजें विक्रय करता है। अप्रार्थी की दुकान में 17 घरेलू सिलेण्डर रखे हुऐ थे वे उपभोक्ता के रखे हुए थे। जिन उपभोक्ता के घर तक गाडी नहीं पहुंच पाती, वह उपभोक्ता अपनी सुविधा के लिए उपने सिलेण्डर प्रार्थी के दुकान पर रख जाते एवं अपनी गैस पासबुक भी रख आते सिलेण्डर बुक कर रख आते एवं जब गाडी आती तब प्रार्थी उपभोक्ता के बुक अनुसार उनके सिलेण्डर ले लेता एवं शाम को अनके घर पहुंचा आता इस सुविधा के लिए उपभोक्ता प्रार्थी सुनहरी को 10/–दस रूपये दे देते थे एवं वक्त निरीक्षण प्रार्थी सुनहरी ने उपभोक्ता की रखी हुई गैस पासबुक दिखाई एवं उनकी बुकिंग भी दिखाई। समस्त गैस सिलेण्डर उपभोक्ता के थे एवं गैस सिलेण्डर जो एजेन्सी से मिलते है, वह उपभोक्ता के मोबाइल न. से बुकिंग करने पर मिलते है एवं उनके मोबाइल न. पर ओ.टी.पी. बावत डिलेवरी बावत आता है ओ.टी.पी. डालने के उपरांत ही गैस सिलेण्डर डिलेवर जाता है। निरीक्षण टीम द्वारा गलत एवं विधिविरूद्व तरीके से अनुचित कार्यवाही कर सिलेण्डरों को जब्त किया गया है। प्रार्थी अपने जबाव के समर्थन में उपभोक्ताओं के शपथपत्र पेश कर रहा है। किसी भी उपभोक्ता के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही एवं शिकायत नहीं की गई है। प्रकरण में जब्त शुदा माल को अप्रार्थी को वापस दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 30.03.2024 को थानाधिकारी मंनिया एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर की टीम के द्वारा मैसर्स सुनहरी गैर सर्विस मैन बाजार मंनिया में घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण एवं विक्रय के सम्बध में जॉच कार्यवाही की गई। मौके पर उक्त दुकान में कुल 17 घरेलू सिलेण्डर एवं 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर (एन.डी.) रखे जाना पाया गया जिनमें कुल 11 भरे हुए बी.पी.सी.एल. मार्का एवं 01 आई.ओ.सी.एल. मार्का सील्ड, 02 आई.ओ.सी.एल. मार्का खुले, 01 एच.पी.सी.एल. तथा 02 बी.पी.सी.एल. मार्का अनसील्ड सिलेण्डर होना पाये गये। अप्रार्थी का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी की दुकान में 17 घरेलू सिलेण्डर रखे हुऐ थे वे उपभोक्ता के रखे हुए थे। क्योंकि अप्रार्थी से जो खाता बही जब्त की गई है उसमें कई ऐसे हलवाई एवं होटल मालिकों एवं अन्य दुकानदारों के नाम है जिनकों घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ती की गई है जिससे यह जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुकान पर अवैध भण्डारण कर व्यवसायिक विक्रय कर उपयोग किया जा रहा था। मौके पर अप्रार्थी की दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्व करता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं विक्रय किया जा किया जा रहा था। दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एवं विक्रय करने हेतु अप्रार्थी के पास कोई प्राधिकारपत्र नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें जो कानूनन सही नहीं है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल कुल 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर (एन.डी.) मय एल.पी.जी. गैस, 01 लोहे का तराजू मानक बजन बांट को राजसात किये जाने एवं 01 खाता बही एवं कुल 37 डायरियां का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी धौलपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज0) ★